रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED NO. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1979/वैशाख 20, 1901
No. 204] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1979/VAISAKHA 20, 1901

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date.
GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 10 मई, 1979

का. आ. 267(अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ तथा धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात—

(1) इस आदेश को सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1979 (तृतीय संशोधन) कहा जाएगा ।

(2) यह तत्काल से लागू होगा ।

सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खण्ड 9, उपखण्ड (2) में अंक "3.00" के स्थान पर अंक "3.71" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[फा. सं. 1-3/79-सीमेंट]
ए. महादेवन, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th May, 1979

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by sections 18G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely :—

(i) This Order may be called the Cement Control (Third Amendment) Order, 1979 ;

(ii) It shall come into force with immediate effect.

In sub-clause (ii) of clause 9 of the Cement Control Order, 1967, for the figure "3.00", the figure "3.71" shall be substituted.

[File No. 1-3/79-Cem.]
I. MAHADEVAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979